न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 166/2019 **दायर दिनांकः 11/09/2019**

उनवान

1. उरजन उर्फ अर्जुनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र हरिराम जाति मेघवंशी निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 24/03/2022

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू की खाता संख्या 7 के ख0नं0 33/744 का रकबा 0.14 है0 व ख0नं0 35 रकबा 1.93 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.07 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम उरजन पुत्र हरिया दर्ज है व वादी के आधार कार्ड व राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में वादी का नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम दर्ज है। जिसकी छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद ं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का बोलता नाम उरजन पुत्र हरिया दर्ज करवा दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेज में है जो वादी का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम उरजन पुत्र हरिया दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी

का कृषि विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर अर्जुनलाल पुत्र हरिराम दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम दर्ज नहीं किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पायेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अस्तु वादी प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर सही नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 19.09.2019 को नकल प्राप्त करने व अन्तिम बार दिनांक 06.11.2019 कृषि ऋण के लिए आवेदन करने पर गलत नाम के कारण आवेदन खारिज होने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर सही नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 के शपथ पत्र पेश किये गये, शेष साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम बोकडा की खाता संख्या 7 की किता 2 का रकबा 2.07 है0 आराजी में वादी का नाम उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर सही नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम बोकडा के खाता संख्या 7 के 33/744 का रकबा 0.14 है0 व ख0नं0 35 रकबा 1.93 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.07 है0 आराजी में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में उरजन पुत्र हरिया दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड प्रदर्श 1, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श 2, राशन कार्ड प्रदर्श 3, जन आधार कार्ड प्रदर्श 4 में वादी का नाम अर्जुनलाल पुत्र हरिराम दर्ज है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>–::क्रियात्मक आदेश::–</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बोकडा तहसील अटरू के खाता संख्या 7 के ख0नं0 33/744 का रकबा 0.14 है0 व ख0 नं0 35 रकबा 1.93 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.07 है0 में सहखातेदार उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर अर्जुनलाल उर्फ उरजन पुत्र हरिराम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण 166/2019

उनवान

1. उरजन उर्फ अर्जुनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र हरिराम जाति मेघवंशी निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....र...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बोकडा तहसील अटरू के खाता संख्या 7 के ख0नं0 33/744 का रकबा 0.14 है0 व ख0 नं0 35 रकबा 1.93 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.07 है0 में सहखातेदार उरजन पुत्र हरिया के स्थान पर अर्जुनलाल उर्फ उरजन पुत्र हरिराम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....र..................... मुबालिक ....र............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......र............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....र......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.03.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)